उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:40/2021/1357297/12-2002/5/2021
लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष "4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" में प्रावधानित धनराशि रूपये 26000.00 लाख के सापेक्ष निम्न शर्तो के अधीन, रूपये 4000.00 लाख (चालिस करोड़ रूपये मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/ गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में इसका व्यय नहीं किया जायेगा, और, न ही एक मद से दूसरे मद में धनराशि का व्यावर्तन किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए, आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(5) वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है ।

(6) वित्तीय स्वीकृति जारी करने, अथवा, धनराशि विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के अन्य अप्रसांगिक व्यय करने का प्राधिकार विभागाध्यक्ष/नियंत्रक को प्राप्त नहीं होता है।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पर, पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा, किसी प्रकार की द्विरावृत्ति हो रही है ।

(8) निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा अन्य सम्बन्धित पक्षों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

-2-

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाएगी। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(11) धनराशि के आहरण एवं व्यय में, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/ बी- 1-375/ दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2. उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की सहमति के उपरान्त, प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के तहत जारी की जा रही है ।

3. उक्त वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष "4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जाएगा।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:40/2021/ 1357297/12-2002/5/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को उनके पत्र संख्या: एस0एफ0 95-जी/4401/बजट/2021-22, दिनांक 25 मई, 2021 एवं पत्र संख्या: एस0एफ0/182-जी/4401-बजट/2021-22, दिनांक 11 जून, 2021 के संदर्भ में
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
5. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ/संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी,
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://finsanadesh.up.gov.in